मानकः पथप्रदर्शकः

सत्यमेव जयते
Government of India

पंजीकृत पावती सूचना

हमारा संदर्भ : सी एम/एल - 5900082212　　　　　　　　　　दिनांक -09/09/2021

विषय : आई एस 10748 : 2004 के अनुरूप भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 5900082212 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में।

मेसर्स संभव स्पॉज पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम- सरोरा, पोस्ट तिल्दा,
जिला: रायपुर
छत्तीसगढ़- 493114

महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है:

उत्पाद : Hot-rolled Steel Strip for Welded Tubes and Pipes

आई एस : **IS 10748 : 2004**

टाइप/ साइज़/ ग्रेड/ किस्म:
HR Strips of Grade- 1, 2, 3, 4, 5, Width- 100 mm upto and Including 450 mm, Thickness- 1.60 mm up to and Including 6.00 mm

2. आपको यह लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जा रहा है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त उत्पादन पर मानक मुहर लगाएँगे।

3. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सीएम/एल - 5900082212 है जो दिनांक 30/08/2021 से लागू है तथा दिनांक 29/08/2022 तक वैद्य है। आप द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

4. भारीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के अनुसूची 2 में दिए गए स्कीम-। के पारा 5 के अंतर्गत सबपारा (1) और (2) के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क रू. 1000/- एवं भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 के स्कीम-। के उपाबंध 1 में दिए गए वार्षिक न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक 30/08/2021 से अग्रिम रूप से आपके द्वारा देय होगा।

जीएसटी, जैसा उपयुक्त हो, देय होगा

5. आप द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं । लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रसीद संख्या AA59PC2021000518 दिनांक 07/08/2021 मानक ऑनलाइन के द्वारा भेजी जा चुकी है।

6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।

8. आपके द्वारा पहले से ही स्वीकृत निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (एस आई टी) का आपके संगठन द्वारा पूर्णतया एवं सख्ती से अनुपालन करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अंत: उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेषण करनी होगी।

9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण संलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहॉ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।

10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उस के मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान होर्डिगों, स्लाइडों और अखबारों में दे सकते हैं। लैटरहैड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन लैटरहैड इत्यादि का नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे। यह आश्वासन आपको संलग्न प्रपत्र में देना होगा।

11. यह लाइसेंस **ग्राम- सरोरा, पोस्ट तिल्दा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़- 493114** पर स्थित आपकी फैक्ट्री के लिए प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों/विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे । यह लाइसेंस अहस्तान्तरणीय है। निर्माण एवं जॉच उपकरणों के लाइसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित होने की स्थिति में नए परिसर में स्थानान्तरित निर्माण एवं जॉच सुविधाओं का हमारे द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बन्द करना होगा।

~~12. आपकी फैक्ट्री के प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूने/नमूनों की जॉच रिपोर्ट (टों) की एक प्रति/प्रतियॉ आपके रिकार्ड के लिए संलग्न है।~~

13. आपका ध्यान आकर्षित करते हुए हम यह बताना चाहते हैं कि यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिया गया है कि लाइसेंस प्रदान करने से पहले निरीक्षण के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आहरण किए गए नमूने (नमूने की आहरण तिथि 24/08/2021) अगर भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पायी जाती हैं तो लाइसेंस को निलंबन में रखा जाएगा और अगर एक माह के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नए नमूने परीक्षण के लिए पेश नहीं किया जाता है अथवा नए नमूने परीक्षण में विफल पाए जाते हैं तो लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी (विकल्प 2 में प्रदान किए जा रहे लाइसेंस के लिए लागू)

14. अनुज्ञप्ति दस्तावेज इसके साथ संलग्न है।

15. बीआईएस लाइसेंस की शर्तें आपकी अनुपालन के लिए संलग्न है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

V GOPINATH Digitally signed by V GOPINATH Date: 2021.09.09 16:02:17 +05'30'

(वी. गोपीनाथ)

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

संलग्न : यथोपरि

उपाबंध

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल- 5900082212**)**

<u>अनुज्ञप्ति की शर्तें</u>

(1) मानक चिह्न का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गयी प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।

(2) मानक चिह्न के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक ब्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।

(5) जिस माल और बस्तुओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निर्देश दे सकता है।

(6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिह्नांकन अपेक्षाएँ भी शामिल हैं।

(8) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिह्न के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ब्यूरो को उपलब्ध कराएगा।

(11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, वितरकों, व्यौहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिह्न वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गयी है।

(12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(13) मानक चिह्न वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।

(14)अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure

(Licence No. CM/L- 5900082212**)**

<u>Conditions of Licence</u>

(1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.

(2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.

(3) The license shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.

(4) The licensee shall not use the Standard mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.

(5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.

(6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.

(7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirement.

(8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau form time to time.

(9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.

(10)The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standards Mark as and when it is required by the Bureau.

(11)If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom woods or articles with Standard Mark is supplied.

(12)The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.

(13)If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.

(14)The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

मानक मुहर

मानक मुहर हेतु मोनोग्राम का डिजाइन

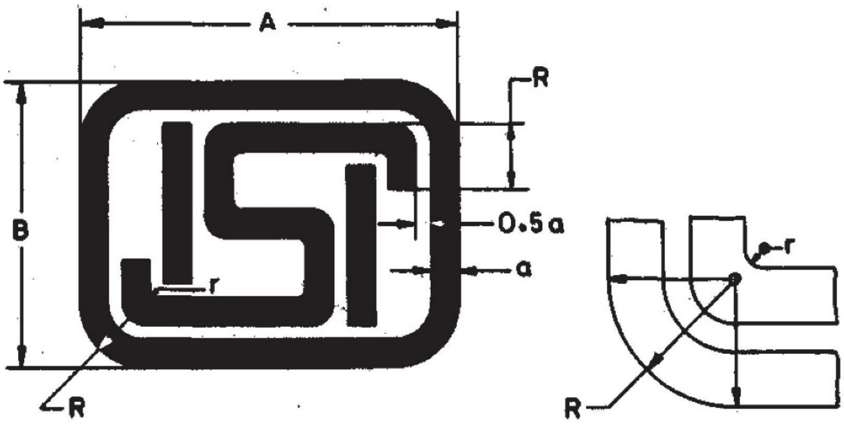

आकृति 1 मानक चिह्न हेतु मोनोग्राम

मानक चिह्न के मोनोग्राम के चित्रात्मक निरूपण में आकृति 1 में दर्शाई गई शैली में सटीक आरेखण और तालिका 1 में दिया गया सापेक्ष अनुपात

तालिका 1 मोनोग्राम के अधिमानित आयाम

सभी आयाम मिलीमीटर में

A	B	a	R	r	अक्षरों के आकार
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 मि.मि.
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 मि.मि.
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 मि.मि.
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 मि.मि.
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 मि.मि.
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 मि.मि.
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 मि.मि.
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 मि.मि.